उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-4/2024/आई/493126/2024-फा0नं0-10-22099/1223/2020-22
लखनऊ: दिनॉक: 12 फरवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-Book(C)/Pension Apportionment.2019-20/69023 दिनांक 09.11.2022 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अवधि के लिये रू0 1510.45 करोड़ (रूपये एक हजार पांच सौ दस करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आकलित की गयी है।

2- उक्त धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह जून, 2023 में धनराशि रू0 300.00 करोड़, जुलाई, में रू0 135.00 करोड़, माह अगस्त, में रू0 135.00 करोड़, माह सितम्बर में रू0 135.00 करोड़, माह अक्टूबर में रू0 135.00 करोड़, माह नवम्बर में धनराशि रू0 135.00 करोड़, माह दिसम्बर, 2023 में धनराशि रू0 135.00 करोड़ तथा माह जनवरी, 2024 में धनराशि रू0 135.00 करोड़ का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को किया जा चुका है। 9वीं किश्त के रूप में धनराशि रू0 135.00 करोड़ (रू0 एक सौ पैतीस करोड़ मात्र) का भुगतान माह फरवरी, 2024 में तदर्थ रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अधीन लेखाशीर्षक “2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01- सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” के नामे डाला जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।